भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 429
उत्तर देने की तारीखः 05.02.2018

रोस्टर प्रणाली के संबंध में शिकायतें

429. डॉ. उदित राजः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में भर्ती के दौरान रोस्टर प्रणाली का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताओं को छुपाने के लिए वर्तमान रोस्टर सूची में हेरफेर की शिकयतें भी प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि ये शिकायतें, यदि सच साबित होती हैं, तो इससे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को काफी नुकसान होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (घ): दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने सूचित किया है कि विभिन्न कॉलेजों के आरक्षण रोस्टरों को संबंधित कॉलेजों, जो कि आरक्षण रोस्टर में दर्शाए गए रिकॉर्ड और डाटा के अभिरक्षक हैं, द्वारा प्रदान किये जाने वाले ब्यौरें/सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विश्वविद्यालय के अनुमोदन से पहले कॉलेज के संपर्क अधिकारी (अनु.जाति/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) द्वारा संबंधित कॉलेज के आरक्षण रोस्टर को विधिवत रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। विश्वविद्यालय सुनिश्चित करता है कि डीयू द्वारा अपनाई गई भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देश/आरक्षण नीति का समुचित रूप से पालन किया जाए। लोकसभा सचिवालय के माध्यम से व्यावसायिक अध्ययन के कॉलेज में रोस्टर में धोखेबाजी के आरोप संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, जांच करने पर रोस्टर सही पाया गया था।

डीयू एक संवैधानिक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई थी और इसे डीयू अधिनियम, 1922 और इसमें दी गई संविधि और अध्यादेशों के द्वारा शासित किया जाता है। प्रवेश सहित सभी प्रशासनिक, शैक्षिक निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा इसके सांविधिक निकायों, जैसे कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और न्यायालय के अनुमोदन से लिया जाता है। यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 20 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, यूजीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सार्वजनिक निधियों से सहायता प्राप्त कर रहे समवत विश्वविद्यालय संस्थाओं में आरक्षण नीति के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

****